16/03/2020 LL.B. IV Sem

Arbitration, Conciliation and Alternative Disputes Resolution

LL.B. IV Sem

MANEESHA SHARMA
Law faculty
N.A.S. P.G. College
Meerut

Scanned with CamScanner

प्रश्न3 एक मध्यस्थ का आदेश कब समाप्त हो सकता है।

उत्तर एक मध्यस्थ का आदेश कब समाप्त हो जाता है? धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार निम्नलिखित कानूनी आधारों पर एक मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है।

1. धारा 15 (1) क के अनुसार जब मध्यस्थ विधित या तथ्यत: अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है या किसी अन्य कारणवश अत्याधिक विलम्ब के बिना कार्य करने से सफल रहता है। दूसरे शब्दों में यदि कोई मध्यस्थ अपनी बीमारी या पागलपन या किसी अन्य कानूनी असमर्थता के अन्तर्गत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका मध्यस्थ के रूप में अधिकार समाप्त हो जाता है।

2. धारा 15 (1) (ख) के अनुसार जब मध्यस्थ अपने पद से स्वंय को हटा लेता है या पक्षकार उसके आदेश को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो भी उसकी अधिकरण तथा उसका आदेश समाप्त हो जायेगा।

3. धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसार यदि धारा (1)(क) में निर्धारित आधार के सम्बन्ध में कोई विवाद अस्तित्व में आता है तो मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जायेगा। परन्तु न्यायालय एक पक्षकार उस विवाद को निर्धारित करने हेतु न्यायालय में आवेदन कर सकता है तथा न्यायालय उसके अनुरूप मध्यस्थ की एक एक राय। परन्तु पक्षकारों को यह अधिकार है कि वे इस सम्बन्ध में अन्यथा करार कर सकेंगे।

4 धारा 15 की उपधारा (3) उपधारा (2) में उत्पन्न विवाद को हल करने तथा मध्यस्थ के पृथक होने का हल पेश करती है। उपधारा (3) के अनुसार यदि मध्यस्थ स्वयं को मध्यस्थ कार्यवाही से पृथक कर लेता है या पक्षकार मध्यस्थ के आदेश को समाप्त

करने पर सहमत हो जाते हैं इसका अर्थ धारा 12(3) या 14(4) में वर्णित आधारों की वैधता की स्वीकृति से नहीं लगाया जाना चाहिए

धारा 14 संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग की आदर्श विधि के अनुरूप है। इस धारा के अनुसार उन परिस्थितियों में जहां मध्यस्थ का आदेश असफल हो जाता है या जहाँ मध्यस्थ के आदेश पर कार्य करना असम्भव हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है तथा मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाता है तथा मध्यस्थ का अधिकारिता भी समाप्त हो जाती है।

मध्यस्थ के आदेश की समाप्ति और मध्यस्थ का प्रतिस्थापना

धारा 15(1) मध्य की अधिकारिता की समाप्ति के निम्नलिखित दो आधारों का प्राविधान करती है।

(क) यह कि कारणवश मध्यस्थ की अधिकारिता को ने सत्य को अपने पद से हटा लिया है।

(ख) पक्षकारों ने मध्यस्थ की अधिकारिता को समाप्त करने का वापस में करार कर लिए है।

धारा 15 उपधारा (1) के अन्तर्गत पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता दी गई है कि वे अपनी सहमति द्वारा ऐसे अक्षम मध्यस्थों को पदमुक्त कर सकते हैं जो किसी कारण वश अपने कार्य को पूरा करने में अक्षम हैं या अपने कार्यों को किसी कारणवश नहीं करते इस प्रकार धारा 15 की उपधारा (1) पक्षकारों को अपने मध्यस्थों के आचरण को निर्धारित करने की स्वतन्त्रता को मान्यता देती है।

धारा 15 की उपधारा (2) उस प्रश्न का उत्तर देती है कि एक मध्यस्थ की अधिकारिता समाप्त हो जाने के पश्चात उसके स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे की अधिकारिता जाये। यह उपधारा (2) तब अस्तित्व में आती है जब किसी कारण वश मध्यस्थ की अधिकारिता समाप्त हो जाती है।

धारा 15(3) स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति के पश्चात स्थानापन्न मध्यस्थ द्वारा कार्यवाही के संचालन का प्राविधान करती है। धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसार स्थानापन्न मध्यस्थ को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि चाहे वह मध्यस्थ कार्यवाही का संचालन प्रारम्भिकता स्तर से करे या उस स्तर से जहाँ पूर्ववर्ती मध्यस्थ ने मध्यस्थ कार्यवाही का समापन किया था। परन्तु मध्यस्थ के पक्षकार इसके प्रतिकूल भी करार कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner